[1][**प्ररूप सं. 10**

[नियम 17(2) देखें]

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी के सम्मुख विवरण की प्रस्तुति**

सेवा में

निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी

.....

.....

मैं, ..... की ओर से [निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/ अन्य शैक्षिक संस्थान/अन्य अस्पताल /अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम] जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, यह आपके संज्ञान में लाता हूं कि न्यासियों/ शासी निकाय/प्रबंधन चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया गया कि _____ _____ (ता.मा.व) निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम की गत वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष 20XX.....-202XX....., की आय राशि ..... जो कि _____ निधि/संस्थान/ न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम का प्रतिशत है, उसे संचित अथवा पृथक करके निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम के प्रयोजनार्थ किया जाएगा प्रस्तावित संचयन या पृथकन की अवधि और प्रयोजन राशि का विवरण इस प्रकार है:-

| क्रम सं. | धारा जिसके अधीन विवरण प्रस्तुत किया जाना है | वह प्रयोजन जिसके लिए राशि का संचयन या पृथकन किया जाना है | संचयन की राशि (रु.में) | संचयन/पृथकन की अवधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | टिप्पण निर्दिष्ट करें@ | | | गत वर्ष का आरंभ | गत वर्ष की समाप्ति | अवधि वर्षों में |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में विर्निदिष्ट किसी 1 या अधिक प्ररूप या मोड विनिवेशित या जमा राशि का संचयन/पृथकन।

3. इसके अतिरिक्त यह भी आपके संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त _____ [निधि/संस्थान/न्यास/ अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम] निर्धारण वर्ष के संबंध में सुसंगत पिछले निर्धारण वर्ष आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खाते की आवश्यकता अनुसार संचयन या पृथकन के संबंध में दिया गया विवरण [जो लागू नहीं हो उसे काट दें] इस प्रकार है:-

| संचयन वर्ष | प्ररूप 10 भरने की तारीख | संचित राशि | अवधि जिसके लिए संचयन/पृथकन किया गया है | गत वर्ष के अंत तक प्रयोज्य राशि | आवेदन के लिए शेष राशि | धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 के अर्थ में निहित राशि जिसे आय माना गया है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4. यह भी आपके संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त 3 में दर्शाई गई आय में से न्यायालय के आदेश/निषेधाज्ञा के कारण नीचे दर्शाई गई आय प्रयोज्य नहीं होगी उस प्रयोजनार्थ जिसके लिए ये संचित या पृथक की गई है।

| क्रम सं. | आय राशि | गत वर्ष जिसमें संचित या पृथक की गई | अवधि जिसके दौरान न्यायालय के आदेश के कारण प्रयोज्य नहीं हो सकी। | न्यायालय के आदेश का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

तारीख .....

#हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

पता .....

**टिप्पणीः-**

1. # यह विवरण न्यासी/मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. @धारा कोड के लिए कृपया निम्नलिखित कोड भरें:-

| धारा | कोड |
|---|---|
| धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 का खंड (क) | 1 |
| धारा 11 की उपधारा का खंड (क) | 2 |
| धारा 11 की उपधारा (2) का खंड (क) धारा 10 के खंड (21) के साथ पठित | 3] |

---

1. आय-कर (पच्चीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **1.4.2022** से प्रतिस्थापित।